भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) हेतु बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के संदर्भ में प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

प्र.1. केंद्र सरकार द्वारा देश के किन अल्पसंख्यक समुदायों को अधिसूचित किया गया है और देश की आबादी में उनका शेयर कितना है?

उत्तर. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत मुस्लिमों, सिक्खों, ईसाईयों, बौद्धों और पारसियों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है| वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत, देश की कुल आबादी के लगभग 18.4% है, जिसमें से मुस्लिम 13.4%, ईसाई 2.3%, सिक्ख 1.9%, बौद्ध 0.8% तथा पारसी 0.007% हैं|

प्र.2. अल्पसंख्यक बहुल ज़िलों की पहचान के लिए किस विधि का उपयोग किया गया?

उत्तर. अल्पसंख्यक बहुल ज़िलों की पहचान जनसंख्या के आंकड़ों तथा इन ज़िलों की 2001 की जनगणना के पिछड़ेपन के मापदंडो, दोनों के आधार पर की गई है|

प्र.3. अल्पसंख्यक बहुल ज़िलों की पहचान के लिए किस जनगणना कसौटी का उपयोग किया गया?

उत्तर. प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में 'अल्पसंख्यक बहुल आबादी' का उन जिलों की पहचान के लिए उपयोग किया गया है जो अपेक्षतया पिछड़े हुए हैं जिनमें कुल आबादी का कम से कम 25% अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित है, का 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एमएसडीपी की पहचान हेतु उपयोग किया गया है| साथ ही, 5 लाख से अधिक किंतु 20% से 25% के बीच की अल्पसंख्यक आबादी वाले विशाल निश्चित अल्पसंख्यक आबादी वाले ज़िलों का भी 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे एमसीडी की पहचान के लिए उपयोग किया गया है| छह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, जहाँ कोई अल्पसंख्यक समुदाय, बहुसंख्या में है,

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में बहुसंख्या वाले अल्पसंख्यक समुदाय को छोड़कर अल्पसंख्यक आबादी का 15% उपयोग किया गया है|

प्र.4. अल्पसंख्यक बहुल ज़िलों की पहचान के लिए पिछड़ेपन के किन मापदंडों का उपयोग किया गया है?

उत्तर. पिछड़ेपन के मापदंड निम्नलिखित हैं:-

(क) जिला स्तर पर धर्म-विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक संकेतक :

(i) साक्षरता दर;

(ii) महिला साक्षरता दर;

(iii) कार्य में भागीदारी दर; और

(iv) महिलाओं द्वारा कार्य में भागीदारी दर

(ख) जिला स्तर पर आधारभूत सुविधा संकेतक :

(i) पक्की दीवार वाले मकानों का प्रतिशत;

(ii) स्वच्छ पेयजल वाले मकानों का प्रतिशत;

(iii) विद्युत सुविधा वाले मकानों का प्रतिशत; और

(iv) जल सुविधा युक्त शौचालय वाले मकानों का प्रतिशत

प्र.5. कितने अल्पसंख्यक बहुल ज़िलों की पहचान की गई?

उत्तर. जनगणना के आँकड़ों और 2001 की जनगणना के पिछड़ेपन के मापदंडों, दोनों के आधार पर 90 अल्पसंख्यक बहुल ज़िलों की पहचान की गई है|

प्र.6. इस कवायद से पूर्व ऐसे कितने ज़िलों की पहचान की गई है?

उत्तर. 1987 में, 1971 की जनगणना के आँकड़ों के आधार पर, 41 अल्पसंख्यक बहुल ज़िलों की सूची तैयार की गई थी| 41 ज़िलों की पहचान के लिए किसी ज़िले की 20 प्रतिशत अथवा अधिक की अल्पसंख्यक आबादी के एकल मापदंड को लागू किया गया था|

प्र.7. क्या 90 एमसीडी को उनके पिछड़ेपन के अनुसार वर्गीकृत किया गया है?

उत्तर. मापदंडों के दोनों समूहों के राष्ट्रीय औसत से नीचे के मानकों वाले जिन अल्पसंख्यक बहुल ज़िलों को अपेक्षतया और अधिक पिछड़ा हुआ माना गया था, को श्रेणी 'क' (53 ज़िले) के रूप् में वर्गीकृत किया गया है| वे ज़िले, जिनके मान पिछड़ेपन के मापदंडों के दोनों समूहों में से किसी एक के लिए राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं ख को श्रेणी 'ख' (37 ज़िले) में वर्गीकृत किया गया है|

प्र.8. 90 ज़िलों, राज्यों के नाम और उनके वर्गीकरण के संबंध में बतायें?

उत्तर. 90 ज़िलों का विवरण इस मंत्रलय की वेबसाइट पर उपलब्ध है|

प्र. 9. एमएसडीपी क्या है?

उत्तर एमएसडीपी का आशय है बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम(एमएसडीपी)| यह एक विशेष क्षेत्र विकास योजना है जो इन जिलों में आधारिक सर्वेक्षण के द्वारा पता लगाई गई 'विकास संबंधी कमियों' को दूर करने के लिए तैयार की गई है|

प्र.10. एमएसडीपी के क्या उद्देश्य हैं?

उत्तर. कार्यक्रम का उद्देश्य ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान एमसीडी में लोगों के जीवन-स्तर और असंतुलनों को कम करने के लिए आधारभूत सुविधाओं के सामाजिक-आर्थिक मापदंडों में सुधार लाना है| पता लगाई गईं 'विकास संबंधी कमियों' को आय सृजन के क्रियाकलापों के विकास के लिए लाभार्थी अभिमुख योजनाओं के अलावा स्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए अवसंरचना, स्वच्छता, पक्के मकान, पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था हेतु एक ज़िला विशिष्ट योजना के माध्यम से पूरा किया जाएगा| सड़कों को जोड़ना, आधारभूत स्वास्थ्य अवसंरचना, आईसीडीएस केंद्र, कौशल विकास एवं विपणन सुविधा-केंद्रों सरीखी निश्चित रूप से क्रांतिक अवसंरचना लिंकेजस जो जीवन-स्तर में सुधार करने तथा आय सृजन के क्रियाकलापों के विकास एवं विकास प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए आवश्यक है, भी योजना में शामिल किए जाने के लिए पात्र होगा| किसी ज़िले की बहु-क्षेत्रीय ज़िला विकास योजना इस ढंग से तैयार की जानी होगी कि ये ज़िले ग्यारहवीं योजना अवधि के भीतर अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु

प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम में शामिल योजनाओं का पूर्ण रूप से लाभ मिल जाए|

प्र.11. एमएसडीपी का ज़ोर किस पर है?

उत्तर. एमएसडीपी का ज़ोर होगा, 'जो आधारित सर्वेक्षण से पता लगाई गई' विकास संबंधी कमियों के आधार पर तय किया जाएगा, का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक मापदंडों को तथा समग्र रूप से ज़िले के आधारभूत सुविधा मापदंडों को बेहतर बनाना होगा ताकि उन्हें यदि राष्ट्रीय औसत से ऊपर नहीं तो उसके समतुल्य लाया जा सके| सेवा, आर्थिक अवसरों को बढ़ाने के लिए अपेक्षित क्रांतिक अवसंरचना लिंकेजस, जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकें, की भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत व्यवस्था की जाएगी|

प्र.12. इस प्रकार के क्रियाकलाप को आवश्यक क्यों समझा गया है?

उत्तर. 90 अल्पसंख्यक बहुल ज़िलों की सरकार द्वारा पहले से ही पहचान की गई है जो अपेक्षतया पिछडे हुए हैं और सामाजिक-आर्थिक एवं आधारभूत सुविधा संकेतकों के संदर्भ में राष्ट्रीय औसत से पिछड़े हुए हैं| इन ज़िलों में अल्पसंख्यक बहुल आबादी है और ये सामाजिक-आर्थिक अथवा आधारभूत सुविधा संकेतकों के अस्वीकार्य रूप से निम्न स्तरों के साथ पिछड़े हुए हैं, जिन पर संकेद्रित ध्यान एवं विशिष्ट कार्यक्रम क्रियाकलाप की जरूरत है|

प्र.13. एमएसडीपी के अंतर्गत अनुमोदित योजनायें किस प्रकार की हैं?

उत्तर. मंत्रलय द्वारा अनुमोदित केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के प्रकार तथा 'विकास संबंधी कमियां' जिन्हें वे दूर करेंगे, निम्नानुसार हैं:-

क्रम सं.	**अनुमोदित परियोजनायें**	**केन्द्र प्रायोजित योजना का नाम (सीएसएस)**	**मंत्रालय/विभाग**
	आवास संबंधी कमियों को दूर करने हेतु		
1.	इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के मकानों का निर्माण	इंदिरा आवास योजना आवास*	ग्रामीण विकास मंत्रालय

पेयजल संबंधी कमियों को दूर करने हेतु

1.	हैंड पंपों का संस्थापन	तीव्रीकृत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम* (एआरडब्लूएसपी)		पेयजल आपूर्ति विभाग
2.	पेयजल आपूर्ति सिस्टम का निर्माण	तीव्रीकृत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम* (एआरडब्लूएसपी)		पेयजल आपूर्ति विभाग
3.	पेयजल हेतु रिंग वेल का निर्माण	तीव्रीकृत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम* (एआरडब्लूएसपी)		पेयजल आपूर्ति विभाग

शौचालय सहित महिला एवं कुल साक्षरता संबंधी कमियों को दूर करने हेतु

1.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)		स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
2.	सरकारी उच्च विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	आरएमएसए		स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
3.	निम्न प्राथमिक एवं मिडल स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)*		स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
4.	प्राथमिक एवं मिडल स्कूलों में स्कूल भवनों का निर्माण	एसएसए		स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
5.	सरकारी हाई स्कूलों में प्रयोगशाला उपकरण	आरएमएसए		स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
6.	सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण	आरएमएसए		स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
7.	कस्तूरबा गांधी विद्यालय में एसीआर का निर्माण	आरएमएसए		स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
8.	मान्यता प्राप्त सरकारी मदरसे में माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक में एसीआर/कम्प्यूटर	एसएसए*/आरएमएसए		स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
9.	हाई स्कूलों में सेनिटरी नैपकिनों के निपटान हेतु भस्मक वाले एक लघु कक्ष का निर्माण	आरएमएसए		स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
10.	विभिन्न श्रेणियों के स्कूलों में	एसएसए*/आरएमएसए	/संपूर्ण	स्कूल शिक्षा एवं

	शौचालय खंडों का निर्माण	स्वच्छता अभियान	साक्षरता विभाग, पेयजल आपूर्ति विभाग
	बिजली संबंधी कमियों को दूर करने हेतु		
1.	बीपीएल परिवारों हेतु हाई स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए सौर लैंप	सौर लैंप योजना	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
2.	सोलर स्ट्रीट लाइटिंग	सोलर स्ट्रीट लाइट योजना	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
	निम्न स्तर के संस्थागत प्रसव एवं टीकाकरण संबंधी कमियों को दूर करने हेतु		
1.	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (एपीएचसी) के भवनों का निर्माण	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्रों (पीएचएससी) के भवनों का निर्माण	एनआरएचएम	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
3.	आंगनवाड़ी केन्द्रों (डब्ल्यूसी) का निर्माण	समेकित बाल विकास योजना*	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
क्रम सं.	**सिद्धांतत: अनुमोदित परियोजनायें**	**केन्द्र प्रायोजित योजना का नाम (सीएसएस)**	**मंत्रालय/विभाग**
	महिला एवं कार्य सहभागिता संबंधी कमियों को दूर करने हेतु		
1.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के भवनों का निर्माण	नए औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की स्थापना	श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
2.	सरकारी आईटीआई का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण, उपकरणों आदि की शुरुआत	मौजूदा आईटीआई को उत्कृष्टता के केंद्र के रुप में विकसित करने की योजना	श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
3.	आईटीआई हेतु छात्रावास का निर्माण, आईटीआई के विभिन्न ट्रेडों के लिए उपकरण	-तदैव-	श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
4.	पॉलीटेक्निक के लिए छात्रावास का निर्माण एवं पॉलीटेक्निक का उन्नयन	कौशल विकास हेतु समन्वित कार्रवाई के अंतर्गत पॉलीटेक्निकों की स्थापना	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

5.	एकीकृत वाटर शेड विकास कार्यक्रम	परिवर्तन खेती वाले क्षेत्र में वाटर शेड विकास परियोजना	कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय
6.	नारियल की वैज्ञानिक खेती एवं प्रसंस्करण प्रोद्यौगिकी के संबंध में किसानों, व्यापारियों, उद्यमियों का क्षमता निर्माण		कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय
7.	रंजन एकक का निर्माण	हथकरघा हेतु समूह विकास	वस्त्र मंत्रालय
8.	प्रतिरुप एवं दिशा-निर्देश पर एसजीएसवाई एकक	स्वर्णजयंती ग्रामीण स्व-रोजगार योजना* (एसजीएसवाई)	ग्रामीण विकास मंत्रालय
9.	कम्प्यूटर एवं आई.टी. संबंधी व्यावसायिक प्रशिक्षण		श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
	महिला एवं कुल साक्षरता संबंधी कमियों को दूर करने हेतु		
1.	उच्च/माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं के लिए छात्रावास का निर्माण	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय* (केजीबीवी)	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
2.	उच्च/माध्यमिक विद्यालयों में बालकों के लिए छात्रावास का निर्माण	नवोदय विद्यलय समिति	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
3.	आधुनिक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना	एसएसए*	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
4.	उप साधनों सहित कम्प्यूटर	एसएसए*	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
5.	गवर्नमेंट इंटर-कॉलेज भवन का निर्माण	आरएमएसए	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

प्र.14. ऐसा क्या है कि केवल सीएसएस की शुरुआत की गई है?

उत्तर. ऐसी बहुत-सी मौजूदा केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) थीं जो पहले से ही समय के साथ-साथ जाँच कभी भी मौजूदा सीएसएस अभिज्ञात विकास संबंधी कमियों को दूर करती हैं, ऐसी योजनाओं को कार्यान्वित करना आसान होता है क्योंकि उनका पहले से ही क्रियान्वयनकर्ता तंत्र होता हैा तथापि, योजना में ऐसी कोई बात नहीं है जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को ऐसे किसी प्रास्ताव के लिए रोकती

हो जिसकी केंद्र तथा राज्य सरकारों की मौजूदा योजनाओं/कार्यक्रमों में व्यवस्था न की गई हो|

प्र.15. यह किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है कि अधिकतम लाभ अल्पसंख्यकों तक पहुँचें?

उत्तर. एमएसडीपी के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देशों में यह व्यवस्था है कि सामाजिक एवं आर्थिक अवसंरचना के स्थान के लिए उन ग्रामों/ब्लॉकों/मोहल्लों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें अल्पसंख्यक समुदायों की आबादी की बहुलता हो|

प्र.16. एमएसडीपी के अंतर्गत क्रियान्वित सीएसएस के लिए परिवर्तनों की परिकल्पना की गई है?

उत्तर. ऐसे ज़िलों में क्रियान्वयनाधीन किसी भी मौजूदा योजना के दिशा-निर्देशों में कोई परिवर्तन नहीं होगा जिसके लिए यह कार्यक्रम अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराएगा| जहाँ तक संभव हो, कार्यक्रम का फोकस व्यैक्तिक लाभार्थियों पर लक्ष्य करने के बजाय उपयुक्त सामाजिक एवं आर्थिक अवसंरचना उपलब्ध कराने पर होगा| यदि कार्यक्रम के अधीन व्यैक्तिक लाभों हेतु योजनायें चलाई जाती हैं, ज़िले के बीपीएल परिवारों की सूची में से लाभार्थियों के चयन हेतु मौजूदा मानकों का पथांतरण नहीं होगा ताकि अतिरिक्त निधियों के लाभ सभी बीपीएल परिवारों को पहुँचे, न कि चुनिंदा तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों को|

***